पंचदश माला, खंड 34, अंक 9

मंगलवार, 20 अगस्त, 2013
29 श्रावण, 1935 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

(खंड 34 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

कीर्ति यादव
सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 34, चौदहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 9, मंगलवार, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2–9
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	9–10
याचिका समिति	
28वां और 29वां प्रतिवेदन	10–11
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा)	
12वां प्रतिवेदन	11
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) भारतीय नौसेना पन्डुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक में हुए भीषण अग्निकांड की घटना	
श्री ए.के. एंटनी	11
(दो) पूर्व-मध्य रेलवे में धमारा घाट रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना, जिसमें कई लोग हताहत हुए	
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	13
(तीन) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन और अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 62वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री राजीव शुक्ला	15
समिति के लिए निर्वाचन	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	16
सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित	
(एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013	16
(दो) भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण विधेयक, 2013	17
(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक, 2013	19

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा निवेदन	
कोयला ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित फाइलों के कथित रूप से गायब हो जाने के बारे में.....	20–22
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन लाभ दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रायय्या सिरिसिल्ला	27
(दो) तमिलनाडु में पलानी से चेन्नई तक प्रस्तावित दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा और पलानी से तिरूचेन्दूर तक दैनिक पैसेंजर ट्रेन सेवा प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन.....	28
(तीन) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नारायणी नदी से अंधाधुंध बालू खनन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री हर्ष वर्धन.....	28
(चार) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, कृषि उत्पादों के लिए वेयरहाउसों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री इज्यराज सिंह	29
(पांच) महिलाओं को सभी प्रकार की हिंसा के संरक्षण देने के लिए कानून लागू करने और स्नातक की शिक्षा प्राप्त बेरोजगार माताओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी.....	29
(छह) तमिलनाडु के विरूद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैंडलूम टैक्सटाईल पार्क के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री मानिक टैगोर	30
(सात) पुष्प कृषि अनुसंधान निदेशालय को दिल्ली से राजस्थान के भरतपुर, में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतन सिंह.....	31
(आठ) हिमाचल प्रदेश के ऊना से ऊना हिमाचल-नांदेड़ साहिब साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री अनुराग सिंह ठाकुर.....	32

विषय	कॉलम
(नौ) मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी स्थित केन्द्रीय विद्यालय का उन्नयन कर उसे उच्चतर माध्यमिक स्तर का विद्यालय बनाने तथा विद्यालय के लिए भवन का निर्माण करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री मकनसिंह सोलंकी	32
(दस) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मोटा-भंडारिया गांव के जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता	
श्री नरेनभाई काछादिया	33
(ग्यारह) मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति जनजातीय समुदाय से किए जाने की आवश्यकता	
श्री नलिन कुमार कटील	34
(बारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के बीड़ी कामगारों को समुचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	34
(तेरह) उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	35
(चौदह) बिहार में खगाड़िया और कुशेश्वर स्थान, हसनपुर और कुशेश्वर स्थान-सकरी के बीच रेललाइन का निर्माण और सहरसा तथा फारविसगंज एवं मधेपुरा तथा पूर्णिया के बीच रेललाइन का आमान-परिवर्तन कराए जाने की आवश्यकता	
श्री दिनेश चन्द्र यादव	36
(पंद्रह) श्रीलंकाई नौसेना के आक्रमणों से भारतीय मछुआरों को बचाने और श्रीलंका की जेलों में बंद भारतीय मछुआरों को छुड़ाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.के.एस. विजयन	36
(सोलह) छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन 19 फरवरी को "राष्ट्र भक्ति प्रेरणा दिवस" घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री गजानन ध. बाबर	37
(सत्रह) महाराष्ट्र के नासिक में एक नए जलाश्य के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति किए जाने की आवश्यकता	
श्री समीर भुजबल	37

विषय		कॉलम
(अठारह)	दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सी. राजेन्द्रन.....	38
(उन्नीस)	तमिलनाडु के सूखा प्रभावित जिलों को राहत पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. लिंगम.....	39
(बीस)	महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजू शेट्टी	40

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री सतपाल महाराज
श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को श्री एस.एम. लाल जन बाशी के दु:खद निधन की सूचना देनी है। वे दसवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के गुंटूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया वे 2002 से 2008 तक राज्य सभा के भी सदस्य रहे।

श्री बाशा ने वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया तथा वे परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति के भी सदस्य रहे।

श्री एस.एम. लाल जन बाशा का निधन 57 वर्ष की आयु में 15 अगस्त, 2013 को आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में नारकेटपल्ली में एक सड़क दुर्घटना में हुआ।

हम श्री बाशा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रेषित करते हैं।

माननीय सदस्यगण, बिहार के खगड़िया जिले में धमारा रेलवे स्टेशन पर 19 अगस्त, 2013 को पटना जाने वाली राज्यरानी एक्सप्रेस द्वारा कुचले जाने से कई श्रद्धालु मारे गए तथा अनेक गंभीर रूप से घायल हुए।

यह सभा इस दु:खद घटना पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रेषित करती है और घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय, श्री ए.के.एस. विजयन, श्री सी. शिवासामी, श्रीमती सुस्मिता बाउरी और कुछ अन्य सदस्यगण आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03¼ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : मैं श्री जी.के. वासन की ओर से एन्नौर पोर्ट लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9391/15/13]

...(व्यवधान)

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल टाइगर कन्जरवेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल टाइगर कन्जरवेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9392/15/13]

(3) (एक) सेन्ट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्रीमती जयंती नटराजन]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9393/15/13]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2287(अ) और का.आ. 2288(अ) जो 26 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9394/15/13]

...(व्यवधान)

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौत ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9395/15/13]

(2) (एक) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9396/15/13]

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत न्यायमूर्ति उषा मेहरा (सेवानिवृत्त) जांच आयोग जिसका गठन 16 दिसम्बर, 2012 को हुई बलात्कार की घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने, पुलिस, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से हुई चूक का पता लगाने और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार लाने हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था, के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उस पर की-गई-कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9397/15/13]

...(व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 489(अ) जो 17 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रबड़ बोर्ड (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1966 का संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9398/15/13]

(2) (एक) नेशनल प्रोडक्टीविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल प्रोडक्टीविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9399/15/13]

...(व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) का.आ. 2077(अ) जो 7 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बक्सर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 2949(अ) जो 19 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरासत से बरहमपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2560(अ) जो 11 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 1891(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ (बाइपासों के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 266(अ) जो 13 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 216(अ) जो 21 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 और 78 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1009(अ) जो 03 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया-पूर्णिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2637(अ) जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1166(अ) जो 23 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 2081(अ) जो 7 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बख्तियारपुर-खगड़िया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1653(अ) जो 20 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 2180(अ) जो 14 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 215(अ) जो 21 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1912(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बख्तियारपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 2266(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 639(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 (पटना-गया-दोभी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1286(अ) जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

[श्री सर्वे सत्यनारायण]

संख्या 33 (बरही-हजारीबाग खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 2285(अ) जो 30 सितंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (बरवा अड्डा-बराकर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 2182(अ) जो 14 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2566(अ) जो 11 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बक्सर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 2643(अ) जो 25 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1346(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2646(अ) जो 25 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग-रांची खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2265(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 2183(अ) जो 14 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2181(अ) जो 14 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 143(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बक्सर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 135(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राड़गांव-जमशेदपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 156(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद-बरवा अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 2964(अ) जो 19 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बख्तियारपुर-मोकामा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 3060(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ (बाइपासों के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2578(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु भूमि सुधार डिप्टी कलक्टर,

औरंगाबाद को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 9400/15/13]

...(व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9401/15/13]

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत यात्री-सामान (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 84/2013-सी.शु. (एन.टी.) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9402/15/13]

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 13 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में पारित जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 13 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में पारित नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2013 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 13 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खंड) विधेयक, 2013 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. अध्यक्ष महोदया, मैं राज्य सभा द्वारा 13 अगस्त, 2013 को यथापारित जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013, नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2013 और राज्य सभा द्वारा 14 अगस्त, 2013 को यथापारित राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खंड) विधेयक, 2013 सभा पटल पर रखता हूं।"

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

याचिका समिति

28वां और 29वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) **:** मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) श्री जोसेफ टोप्पो, संसद सदस्य, लोक सभा तथा संसद के अन्य सदस्यों द्वारा अग्रेषित तथा डॉ. जी. जॉन से प्राप्त अभ्यावेदन, जिसमें ओएनजीसी लिमिटेड द्वारा उनकी सेवाओं का अवैध तथा अनुचित पर्यवसान किए जाने का कथित आरोप लगाया गया है, के बारे में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

---

*सभा पटल पर रखे गये।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

(2) चंबल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बिजली, पेयजल और सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने के बारे में श्री भगवान सिंह कुशवाहा, पोस्ट सरानी खेड़ा, जिला धौलपुर, राजस्थान से प्राप्त तथा श्री खिलाड़ी लाल बैरवा, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अभ्यावेदन के बारे में उनतीसवां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05½ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा)

12वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम) : मैं "प्राकृतिक आपदाओं के लिए एमपीएलएडीएस निधियों के उपबंध की प्रक्रिया" विषय पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक में हुए भीषण अग्निकांड की घटना

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : महोदया, 13/14 अगस्त, 2013 की मध्यरात्रि को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंघुरक्षक में भीषण विस्फोट और आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। दुर्घटना के समय यह पनडुब्बी नौसेना, डॉकयार्ड, मुंबई में खड़ी थी...*(व्यवधान)* मैंने स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ 14 अगस्त, 2013 को घटना-स्थल का दौरा किया, जहां मुझे नौसेनाध्यक्ष द्वारा घटना का विवरण दिया गया।...*(व्यवधान)*

प्रारंभिक आकलन यह दर्शाता है कि पनडुब्बी के अगले भाग में, जहां शस्त्रास्त्र रखे हुए थे, एक आंतरिक विस्फोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप साथ ही साथ और विस्फोट हुए और आईएनएस सिंधुरक्षक में भीषण आग लग गई।...*(व्यवधान)* नौसेना डॉकयार्ड और मुंबई फायर ब्रिगेड के अग्निशमन दस्तों को तुरंत हरकत में लाया गया और आग पर काबू पा लिया गया। तथापि, पनडुब्बी में लगी आग और विस्फोटों से हुई क्षति के कारण आईएनएस सिंधुरक्षक को धीरे-धीरे डूबते हुए देखा गया।...(व्यवधान) आईएनएस सिंधुघोष, जो आईएनएस सिंधुरक्षक के साथ ही खड़ी थी, के ऊपरी खोल (अपर केसिंग) पर भी हल्की आग देखी गई, जिस पर काबू पा लिया गया तथा इस पनडुब्बी और आस-पास खड़े अन्य पोतों को आईएनएस सिंधुरक्षक से दूर हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया।...*(व्यवधान)*

इस दुर्घटना के समय पनडुब्बी के अन्दर 03 अफसरों और 15 नौसैनिकों सहित 18 नौसेना ड्यूटी कार्मिक थे। चूंकि विस्फोट और इसके परिणामस्वरूप हुई क्षति लगभग तात्क्षणिक थी, अत: ये कार्मिक वहां से बचकर नहीं निकल सके।...*(व्यवधान)* हालांकि अभी पूरे विवरण सामने नहीं आए हैं, तो भी विस्फोट की तीव्रता और प्रबलता और इसके परिणामस्वरूप पनडुब्बी को पहुंची क्षति से अंदाजा लगता है कि ये कार्मिक जीवित नहीं बचे होंगे।

पनडुब्बी इस समय तलहटी में जा बैठी है, और यह उस जैटी के बिल्कुल पास पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई है, जहां यह हादसा हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना कार्मिकों को ढूंढ़ने, क्षति का आकलन करने के साथ-साथ रिसाव को रोकने तथा पानी निकालने के लिए दिन-रात गोताखोरी आपरेशन चलाए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* नौसेना के गोताखोर पनडुब्बी में घुसने में सफल हो गए हैं। कम्पार्टमेंटों में भारी क्षति और पानी भर जाने के साथ-साथ मलबे तथा संरचनात्मक टूट-फूट से आ रही रूकावटों के चलते वे पनडुब्बी के कुछ हिस्सों तक ही पहुंच सके। *...(व्यवधान)* उच्च-क्षमता वाले पम्पों का प्रयोग करके कम्पार्टमेंटों में भरे हुए पानी को निकालने के प्रयास किए गए हैं। तथापि, पनडुब्बी के अंदर जल-स्तर कम होता दिखाई नहीं पड़ रहा है जो संरचनात्मक टूट-फूट के कारण बने सुराखों में से पानी भरने की संभावना दर्शाता है। उच्च दाब वायु छोड़ते हुए पानी घुसने के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने हेतु भी प्रयास किए गए हैं।...*(व्यवधान)* इससे पनडुब्बी के पेंदे के अग्र-भाग में जलरोधी कवच (इन्टिग्रिटी) में दरार पड़ जाने का पता चलता है। विश्व की जानी-मानी व्यावसायिक बचाव कार्य करने वाली एजेंसियों से सम्पर्क किया गया है और वे बचाव कार्रवाई के लिए सर्वेक्षण कर रही हैं। रूस से भी सहायता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जहां रिफिट और उन्नयन का कार्य किया गया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी, कृपया अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख दें।

...(व्यवधान)

श्री ए.के. एंटनी : महोदया, आपकी अनुमति से, अपने वक्तव्य का शेष भाग में सभा पटल पर रखता हूं।...*(व्यवधान)*

.... शुरुआती जांच दर्शाती है कि विस्फोट, शस्त्राशस्त्र में संभावित आग लगने के कारण हुआ। तथापि, आग लगने के कारण का अभी पता लगाया जाना है। दृश्य और फोरेंसिक जांच से आग लगने का संभावित कारण ज्यादा स्पष्ट हो सकेगा। यह पनडुब्बी के सतह पर आने और इसमें से पानी निकाले जाने के बाद ही संभव होगा। दुर्घटना के संभावित कारणों का शीघ्रातिशीघ्र पता लगाने हेतु सभी सम्बद्ध विशेषज्ञों के साथ एक जांच बोर्ड का गठन किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय नौसेना की सभी कार्यरत पनडुब्बियों पर शस्त्राशस्त्र संबंधी सुरक्षा प्रणालियों की गहन जांच और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का परीक्षण किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

हम इस दुर्घटना और इसके कारण हुई जान की हानि पर अत्यन्त दु:खी हैं। मैं यह आश्वासन देता हूं कि 18 नौसेना कार्मिकों के परिवारों को हर प्रकार का सहारा, सहायता और परामर्श प्रदान किया जाएगा। मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान में इस प्रयोजनार्थ एक विशेष परिवार प्रकोष्ठ गठित किया गया है। हम उन भारतीय नौसेना कार्मिकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक-संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने कर्त्तव्य की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया।*....*

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9403/15/13]

पूर्वाह्न 11.06½ बजे

(दो) पूर्व-मध्य रेलवे में धमारा घाट रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना, जिसमें कई लोग हताहत हुए*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : महोदया, मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदया, बिहार राज्य के पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल में सहरसा और खगड़िया के बीच धमारा रेलवे स्टेशन पर कल हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में सूचित करते हुए मुझे बहुत ही दु:ख हो रहा है जिसमें रेलपथ पार करते हुए गाड़ी से कुचले जाने के कारण कुछ यात्रियों की मृत्यु हो गई और कुछ घायल हो गए।

यह सूचित किया गया है कि कल लगभग 08.33 बजे, गाड़ी संख्या 55533 अप मधेपुरा-समस्तीपुर पैसेंजर और 08.48 बजे गाड़ी संख्या 55566 डाउन समस्तीपुर-मधेपुरा पैसेंजर धमारा घाट रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ये दोनों गाड़ियां गाड़ी संख्या 12567 राज्यरानी एक्सप्रेस को पहले जाने देने के लिए रूकीं। कुछ यात्री उपर्युक्त गाड़ियों से उस ओर उतरे, जहां प्लेटफार्म नहीं था। इसी बीच लगभग 08.50 बजे गाड़ी संख्या 12567 राज्यरानी एक्सप्रेस धमारा घाट रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। होम सिगनल जो मोड़ पर था, को पार करने के बाद लोको पायलट ने रेलपथ पर कुछ लोगों को खड़ा देखा और आपात ब्रेक लगाई। परन्तु, वह गाड़ी को नहीं रोक सका और कुछ व्यक्ति कुचले गए। अंतिम सूचना के अनुसार 28 व्यक्ति कुचले गए जिनकी मृत्यु हो गई और 6 व्यक्ति घायल हुए।

दुर्घटना के बाद, धमारा घाट पर भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने राज्यरानी एक्सप्रेस के कुछ कोचों में आग लगा दी। 09.55 बजे मेडिकल राहत गाड़ी बरौनी से दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुई। मंडल रेल प्रबंधक/समस्तीपुर डॉक्टरों और अधिकारियों की अपनी टीम के साथ 10.50 बजे समस्तीपुर से चले और वे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक/पूर्व मध्य रेलवे भी अधिकारियों के साथ पटना से दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। मैंने मामले की जांच हेतु रेल संरक्षा आयुक्त को निदेश देने के लिए माननीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री से बात की है। मैंने राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और सामान्य गाड़ी परिचालन के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु बिहार के मुख्यमंत्री से भी बात की है।

इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों को 5 लाख रु. और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मानवीय आधार पर दिये जाने की घोषणा की गयी है।

मैं, रेलवे और अपनी तरफ से शोकसंतप्त परिवारों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के प्रति भी सच्ची सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि शोकाकुल परिवारों को संवेदना व्यक्त करने में सभा मेरे साथ है।

---

*....*वक्तव्य का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9404/15/13.

पूर्वाह्न 11.07 बजे

(तीन) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन और अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में वित्त संबंधी समिति के 62वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में, वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के निम्नलिखित दो प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूं:-

1. योजना मंत्रालय की अनुदानों की मागों (2011-12) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति का 46वां प्रतिवेदन।

2. योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति का 62वां प्रतिवेदन।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का 46वां प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है, इसे 22.12.2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का 62वां प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदोनों की मांगों की जांच से संबंधित है, इसे 06.12.2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

समिति के 13वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों/प्रेक्षणों पर की-गई-कार्रवाई का विवरण, योजना मंत्रालय द्वारा 21.3.2011 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विवरण, मेरे वक्तव्य के अनुबंध-I और अनुबंध-II में दर्शाए गए अनुसार, सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं, इस अनुबंध की समस्त सामग्री को पढ़ने के लिए सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा गया मान लिया जाए।

...(व्यवधान)

*सभा पटल पर रखा गया।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला) : अध्यक्षा जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.09 बजे

सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

(एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

नागर निगम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) :

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.08.2013 में प्रकाशित।

मैं श्री अजित सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विमानन अध्ययनों और अनुसंधान को सुकर बनाने और उसका संवर्धन करने, विमानन प्रबंध, नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन पर्यावरण, विमानन के रक्षा और सुरक्षा विनियमों के शासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, विमानन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्वालिटी मानव संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विमानन अध्ययनों और अनुसंधान को सुकर बनाने और उसका संवर्धन करने, विमानन प्रबंध, नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन पर्यावरण, विमानन के रक्षा और सुरक्षा विनियमों के शासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, विमानन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्वालिटी मानव संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के.सी. वेणुगोपाल : महोदया, मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.10 बजे

(दो) भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण विधेयक, 2013**

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : महोदया, मैं श्री अजित सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि नागर विमानन सुरक्षा के प्रशासन और विनियमन के लिए भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण का गठन करने, वायु परिवहन सेवा प्रचालकों, विमान चालन सेवा प्रचालकों और अन्य नागर विमानन सुविधाओं के प्रचालकों पर नागर विमानन सुरक्षा अन्वेक्षा का, नागर विमानन सेक्टर में सुरक्षा संबंधी संक्रियाओं, उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण विनियमों पर वित्तीय दबाव के संघात् से संबंधित विषयों का बेहतर प्रबंध करने तथा वायुयान अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उचित कार्यान्वयन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि नागर विमानन सुरक्षा के प्रशासन और विनियमन के लिए भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण का गठन करने, वायु परिवहन सेवा प्रचालकों, विमान चालन सेवा प्रचालकों और अन्य नागर विमानन सुविधाओं के प्रचालकों पर नागर विमानन सुरक्षा अन्वेक्षा का, नागर विमानन सेक्टर में सुरक्षा संबंधी संक्रियाओं, उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण विनियमों पर वित्तीय दबाव के संघात् से संबंधित विषयों का बेहतर प्रबंध करने तथा वायुयान अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उचित कार्यान्वयन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रो. सौगत राय।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं क्योंकि इससे भारी भरकम प्रशासनिक तंत्र का निर्माण होगा। वर्तमान डीजीसीए सुरक्षा के प्रावधानों का ध्यान रख सकता है। यह विधेयक बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, यही भारत सरकार भी कर रही है। इसीलिए, यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल : डीजीसीए के पास सीमित शक्ति है। आईसीएओ अभिसमय, पर्यटन और परिवहन संबंधी स्थायी समिति तथा बहुत सी वायुयान दुर्घटना जांच समितियों ने एक नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की हैं। इसीलिए, सरकार ने इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का निर्णय लिया है। अत: आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि नागर विमानन सुरक्षा के प्रशासन और विनियमन के लिए भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण का गठन करने, वायु परिवहन सेवा प्रचालकों, विमान चालन सेवा प्रचालकों और अन्य नागर विमानन सुविधाओं के प्रचालकों पर नागर विमानन सुरक्षा अन्वेक्षा का, नागर

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.08.2013 में प्रकाशित।

[श्री के.सी. वेणुगोपल]

विमानन सेक्टर में सुरक्षा संबंधी संक्रियाओं, उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण विनियमों पर वित्तीय दबाव के संघात से संबंधित विषयों का बेहतर प्रबंध करने तथा वायुयान अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उचित कार्यान्वयन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के.सी. वेणुगोपाल : महोदया, मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.12 बजे

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक, 2013**

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में महिलाओं के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महादेया : प्रश्न यह है:

"कि भारत में महिलाओं के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.एम. पल्लम राजू : महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।...*(व्यवधान)*

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.08.2013 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदया : सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

पूर्वाह्न 11.30¼ बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

कोयला ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित फाइलों के कथित रूप से गायब हो जाने के बारे में

पूर्वाह्न 11.30½ बजे

इस समय श्री एम. आनंदन, श्री के. नारायण राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आपको बुलवाएंगे। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) **:** अध्यक्ष जी, कोयला ब्लॉक आबंटन का मामला बहुत दिनों से चर्चा में है।...*(व्यवधान)* और हर बार एक नया आयाम लेकर यह मामला सामने उभरकर आ जाता है।...*(व्यवधान)* पिछली बार जब यह मामला चर्चा में आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस गया हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट सीबीआई ने फाइल करनी थी, उस रिपोर्ट में...*(व्यवधान)* फेरबदल करने का आरोप कानून मंत्री पर लगा और कानून मंत्री को उसमें इस्तीफा देना पड़ा।...*(व्यवधान)* और अब नया मामला सामने आया है कि कोयले ब्लॉक के आबंटन से संबंधित फाइलें गायब हो गई हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, यह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मेरे पास 6 अगस्त का है जिसे मैं पढ़कर सुनाना

चाहती हूं और जो चार लाइनों का है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त, 2013 को कहा:–

[अनुवाद]

"हम पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं और आज फिर दोहराते हैं कि कोई भी सूचना जिसकी आवश्यकता हो और सरकारी फाइलें तथा रिकॉर्ड जो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के लिए आवश्यक हो, संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना किसी देरी के उन्हें दिए जाएंगे।"

[हिन्दी]

यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिये हैं कि सीबीआई को वे सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड, वे सारी फाइलें आप थमाइए और उन्होंने यह बात कन्सर्न्ड पर्सन पर डाली हैं और वह कन्सर्न्ड पर्सन कौन है?...*(व्यवधान)* वह स्वयं देश के प्रधानमंत्री हैं।...*(व्यवधान)* जो कोयला विभाग में मंत्री रहे।...*(व्यवधान)* और यह बात स्वयं प्रधानमंत्री ने स्वीकारी। 27 अगस्त, 2012 को प्रधानमंत्री जी सदन में आए और आपको संबोधित करके बोले:–

[अनुवाद]

"लगाए जा रहे आरोपों की प्रकृति के कारण और क्योंकि रिपोर्ट में दर्शाई गई अवधि में कुछ समय तक मेरे पास कोयला मंत्री का प्रभार था, मैं इस स्थापित प्रक्रिया में परिवर्तन हेतु आपका अनुग्रह चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रभारी मंत्री के रूप में, मैं मंत्रालय के निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं।"

[हिन्दी]

यह बात स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस सदन के फर्श पर खड़े होकर आपकी अनुमति से कही थी।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि स्वयं प्रधानमंत्री इस सदन में आएं और ये कोयले की फाइलें कहां गायब हुई हैं?...*(व्यवधान)* कैसे गायब हुई हैं? इसके बारे में सदन को आश्वस्त करें। सदन को विश्वास में लें और बताएं कि 147 फाइलें जिनमें एप्लीकेशंस हैं,...*(व्यवधान)* और हर फाइल में कोई न कोई कांग्रेस का बड़ा आदमी इसमें शामिल है।...*(व्यवधान)* वो फाइलें गायब हुई हैं।...*(व्यवधान)* जो डिसीजन्स लिये गये हैं, वो फाइलें गायब हुई हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आपसे चाहती हूं। पूरा सदन आपसे संरक्षण चाहता है।...*(व्यवधान)* आप सरकार को निर्देशित करें। नेता, सदन दो सप्ताह की अस्वस्थता के बाद आज आए हैं। मैं उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामना देती हूं।...*(व्यवधान)* और इसके साथ ही उनसे यह अनुरोध करती हूं कि वह प्रधानमंत्री को सदन में लाकर यह वक्तव्य दिलवाने का काम करें कि फाइलें कैसे गायब हुई?...*(व्यवधान)* कैसे ये फाइलें वापस आएंगी और कब तक वापस आएंगी? इसके बारे में हमें आश्वासन चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदया, कोयला मंत्री इस संबंध में वक्तव्य देंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया) **:** अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत खगड़िया जिले में धमहारा स्टेशन पर कल दिनांक 19 अगस्त, 2013 की सुबह साढ़े आठ बजे राज्यरानी एक्सप्रैस ट्रेन ने लोगों को कुचल दिया, जिनमें 37 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और करीब 24 लोग घायल हो गये।...*(व्यवधान)* इस सूची के अलावा सहरसा जिले के तेलबा गांव के श्री अमरनाथ साह, पिता राजेन्द्र साह भी घायल हो गये थे। उनके परिजनों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, जो मृतकों की सूची में सम्मिलित नहीं है।...*(व्यवधान)* चूंकि यह एक दु:खद घटना है और रेल राज्य मंत्री जी द्वारा बिना जांच किये हुए जो बयान आ रहे थे, वह काफी चिंता का विषय है। राज्य सरकार पर दोषारोपण करने से पहले इसके लिए दोषी कौन है, इसकी जांच कराई जाए। हम रेल राज्य मंत्री के बयान की निंदा करते हैं।...*(व्यवधान)* चूंकि यह दुर्घटना दिन में हुई और वहां कात्यायनी स्थान मंदिर के सामने रेलवे द्वारा खासकर सोमवार और शुक्रवार के दिन कॉशन लगाई जाती थी, जो बैरागन का दिन होता है। इसी दिन श्रद्धालु कात्यायनी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं।...*(व्यवधान)* चूंकि यह मंदिर स्टेशन यार्ड के दक्षिणी सिरे पर अवस्थित है और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। रेल यात्री ट्रेन से उतरकर इसी रेल लाइन पर चलकर मंदिर तक जाते हैं और मंदिर में जाने के क्रम में ही लोगों की मृत्यु हो गई और काफी लोग घायल हो गये। हमारे राज्य के मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक मृतक परिवार को दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। रेल मंत्री जी ने मृतक परिवार को पांच लाख रुपये देने की घोषणा की है, जो कम है।...*(व्यवधान)*

इसलिए हम मांग करते हैं कि रेल मंत्री द्वारा घोषित की गई राशि को बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जाए और प्रत्येक मृतक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए।...*(व्यवधान)* इसके साथ-साथ कात्यायनी मंदिर के सामने हाल्ट का निर्माण किया जाए और धमहारा स्टेशन को विकसित करके फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए तथा

[श्री दिनेश चन्द्र यादव]

सभी लाइनों के बगल में प्लेटफार्म का निर्माण किया जाए। इस घटना पर हम अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से संवेदना और दु:ख प्रकट करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री जगदम्बिका पाल इस मुद्दे पर स्वयं को श्री दिनेश चन्द्र यादव के साथ संबद्ध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : महोदया, हमें भी बोलना है...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.37 बजे

इस समय, श्री एम. आनंदन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरुदास दासगुप्त जी, आपको आर्थिक स्थिति पर बोलना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरुदास दासगुप्त जी आपको आर्थिक स्थिति पर बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : महोदया, मैंने सभा के स्थगन के लिए और कीमतों में बढ़ोत्तरी पर सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैंने आपको आर्थिक स्थिति पर बोलने का अवसर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जी नहीं, आपको आर्थिक स्थिति पर बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं चाहता हूं कि आर्थिक संकट और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में बढ़ोत्तरी पर भी सभा में चर्चा हो और सरकार को बताना चाहिए कि कीमतों को स्थिर रखने के लिए वे क्या कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवकुमार उदासी, श्री रमेश विश्वनाथ कट्टी और श्री राजेन्द्र अग्रवाल इस मुद्दे पर स्वयं को श्री गुरुदास दासगुप्त के साथ संबद्ध करते हैं।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर) : अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही इस मुद्दे के संबद्ध में स्थगन की सूचना दी है कि भारत को कोलंबो में होने जा रहे राष्ट्रमंडल सम्मेलन का बहिष्कार करना चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री को यह कहते हुए पत्र लिखा है कि उन्हें कोलंबो में होने जा रहे राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहिए। इस संबंध में, पूरे विश्व के तमिलों और विशेषकर तमिलनाडु में इस मुद्दे पर गहन आक्रोश है कि श्रीलंकाई सेना द्वारा श्रीलंकाई तमिलों के विरुद्ध युद्ध अपराध और नस्ली नरसंहार किया गया। कनाडा पहले ही राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग न लेने का निर्णय कर चुका है। इन परिस्थितियों में, यदि भारत इसमें भाग लेता है तो हम दोबारा अप्रत्यक्ष रूप से श्रीलंकाई सरकार को प्रोत्साहित करेंगे जोकि श्रीलंकाई समस्या का समाधान करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग न लेने के तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करें और इसका बहिष्कार करे। हम इस संबंध में केन्द्र सरकार से आश्वासन चाहते हैं। साथ ही, मेरा अनुरोध है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री अपितु किसी प्रतिनिधि को भी नवम्बर में होने वाले राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.आ. नटराजन, श्री शिवकुमार उदासी, श्री रमेश विश्वनाथ कट्टी इस मुद्दे पर स्वयं को डॉ. एम. तम्बिदुरई के साथ संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, श्रीलंका की सरकार एक मित्र देश नहीं है।...*(व्यवधान)* हमारी सरकार कहती है कि यह एक मित्र देश है जबकि श्रीलंका ने राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन का निर्णय कर लिया है।...*(व्यवधान)* वे हमारी समुद्री सीमा के अंदर हमारे मछुआरों को पकड़ रहे हैं। वे तमिलों की सहायता नहीं कर रहे हैं। वे मानवाधिकार उल्लंघन

और जातिसंहार के आरोपी हैं। इसलिए, हम चाहते हैं कि नवम्बर के महीने में कोलंबों में होने जा रही राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की बैठक में सरकार भाग न ले।...*(व्यवधान)* यदि सरकार भाग लेने का निर्णय करती है, तो यह तमिलनाडु के लोगों का अपमान होगा जो हर दिन-हर समय श्रीलंका की सेना और नौसेना के हाथों परेशान हो रहे हैं।...*(व्यवधान)* हमारे मछुआरों का जीवन संकट में है; उनकी रोजी-रोटी संकट में है। ऐसी स्थिति में, भारत सरकार को नवम्बर में कोलंबो में होने जा रहे इस सम्मेलन का बहिष्कार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : मैडम, हमने एडजर्नमेंट का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हमने आपको एसोशिएट कर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रेवती रमण सिंह, जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदया, आज देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है...*(व्यवधान)* कि रुपया एक डॉलर के मुकाबले 64 रुपये का हो गया है।...*(व्यवधान)* इससे सैंसेक्स एक हजार पॉइंट नीचे डाउन हो गया है।...*(व्यवधान)* मान्यवर, अगर यही स्थिति रही तो देश में आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ेगी।...*(व्यवधान)* क्योंकि आज हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया है।...*(व्यवधान)* देश में एक ऐसी विषमता होती जा रही है।...*(व्यवधान)* कि रुपया कहां पहुंचेगा। सोने का दाम आसमान छू रहा है, जो कि 32000 रुपये हो गया है।...*(व्यवधान)* मैं आपसे मांग करूंगा कि सरकार इस पर श्वेत पत्र लाए और पार्लियामेंट के सामने रखे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.43 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री जगदम्बिका पाल** *पीठासीन हुए*]

पूर्वाह्न 12.01 बजे

इस समय श्री के. नारायण राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं माननीय सदन के सदस्यों से अपील करना चाहता हूं और अपने वरिष्ठ सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि इस सदन की एक परम्परा है कि इस सदन में जब कोई सदस्य मेडन स्पीच देता है तो इस सदन में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर आपने इस सदन की इस चेयर पर संचालन करने के दायित्व की जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सदन की उस महान परम्परा को बनाये रखें। सदन में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं, कृपया उसे हम व्यवस्थित ढंग से चलायें क्योंकि इस सदन की हमेशा यह परम्परा रही है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के नियम 377 के तहत बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इसलिए मैं इस सदन से चाहता हूं कि आप कृपया सदन को व्यवस्थित करें। आपको बोलने का समय दिया जायेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया अपने स्थानों पर जाइए। मैं आपको समय दूंगा। सभा को व्यवस्थित रहने दीजिए। यह मेरा अनुरोध है। कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं आपको समय दूंगा, कृपया आप बैठ जायें। मैं चाहता हूं कि नियम 377 के विषय लिये जायें।

अपराह्न 12.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा के पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के अंदर सभा के पटल पर व्यक्तिगत रूप से पर्चियां सौंप सकते हैं।

केवल उन मामलों को सभा पटल पर रख हुआ माना जाएगा जिनके लिए निर्धारित समय के अंदर पर्चियां सभा पर प्राप्त होगी। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

...(व्यवधान)

(एक) देश में क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल) **:** मैं देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

वर्तमान में, 62 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 352 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय परिसम्पत्तियों के साथ कार्य कर रहे हैं। वे कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, लघु व्यवसाय और लघु उद्योगों हेतु वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। वे 13.56 करोड़ ग्राहकों में से 2.75 करोड़ परिवारों को वित्त पोषित कर रहे हैं। उपरोक्त में से, 1.78 करोड़ रुपए कृषि उत्पादन से संबंधित है। ये बैंक देश के सुदूर स्थानों पर फैले हुए हैं। इनके कर्मचारी ऐसे सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं जिन्हें खराब जलवायु की श्रेणी में रखा गया है। ये बैंक देश की ग्रामीण जनसंख्या की पहुंच में हैं और न केवल गरीबों अपितु औसत परिवारों को भी 75% तक ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। यदि हम ग्रामीण बैंकों की तुलना राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ करें, तो ग्रामीण बैंकों में 1.45 लाख करोड़ रुपए की परिसम्पत्ति के साथ 85% ग्रामीण परिवार सम्मिलित हैं, जबकि इतनी ही परिसम्पत्ति के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों में 15% परिवार भी सम्मिलित नहीं हैं। यह कहना सुसंगत होगा कि बड़े उद्यमियों द्वारा लिए गए भारी ऋणों को बहुधा बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जबकि ग्रामीण बैंकों में यह एनपीए 5% है।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, मैं माननीय वित्ती मंत्री से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को बैंकिंग पेंशन सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(दो) तमिलनाडु में पलानी से चेन्नई तक प्रस्तावित दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा और पलानी से तिरुचेन्दूर तक दैनिक पैसेंजर ट्रेन सेवा प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडिगुल) **:** पिछले रेलवे बजट के दौरान तमिलनाडु में दो नई ट्रेन व्यवस्था – पलानी से चेन्नई के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन और दूसरी दैनिक यात्री ट्रेन पलानी से तिरुचेन्दूर तक के लिए घोषित की गई थी। उनमें पूरे वर्ष देश भर से और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में पलानी से चेन्नई तक सीधा रेल संपर्क नहीं है और इसके परिणामस्वरूप श्रद्धालुओं को ओमनी बस सेवाओं में महंगा बस किराया देकर यात्रा करनी पड़ती है तथा इससे महिलाओं और बच्चों को असुविधा होती है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से बिना किसी और देरी के इन दोनों ट्रेन सेवाओं को चलाने का प्रबंध करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नारायणी नदी से अंधाधुंध बालू खनन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.) **:** उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज स्थित सोहगीबरवां वन प्रभाग अंतर्गत निचलौल उप-खंड के अर्जुनही जंगल का दो सौ एकड़ का भू-भाग पिछले 2-3 वर्षों में नारायणी नदी में विलीन हो चुका है। अर्जुनही वन, ग्राम सभा कलभिसवां एवं भेडियारी से सटा हुआ है। इस अपार राष्ट्रीय संपदा के क्षति का एक मात्र कारण ग्राम सनभिसवा में हो रहा बालू का अवैध खनन है। एक एकड़ क्षेत्र में बालू उत्खनन का पट्टा प्रदान कर पचासों एकड़ में किए गए बालू उत्खनन से नदी की धारा के मुड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके फलस्वरूप जंगल का नदी में लगातार कटान हो रहा है। यह स्थिति पर्यावरण की दृष्टि से जंगल और क्षेत्रीय परिस्थितिकीय जीव-जंतुओं के लिए काफी खतरनाक है।

मेरी सुनिश्चित जानकारी के अनुसार इस प्रकरण की जानकारी स्थानीय स्तर से प्रदेश एवं केन्द्र को नहीं भेजी गई। आवश्यकता इस बात की है कि जंगल की जमीन के कटान के आंकलन हेतु एक केन्द्रीय दल मौके पर भेज कर जांच कराया जाए जिससे यह पता चल सके कि इस क्षेत्र में कितने एकड़ जंगल की भूमि का कटान हुआ है। संबंधित जांच कमेटी को यह निर्देश दिया जाना सुनिश्चित करें कि जांच के समय मुझे भी सूचित करें ताकि मौके पर रह सकूं।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में उक्त स्थान पर अवैध रूप से बालू के उत्खनन पर अविलंब रोक लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए जिससे जंगल की सैकड़ों एकड़ जमीन का नदी द्वारा लगातार हो रहे कटाव को रोका जा सके।

(चार) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि उत्पादों के लिए वेयरहाउसों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा) : मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण का विशेष अभाव है। किसान के पास जब फसल आ जाती है तो उसको स्टोरेज करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होने से किसानों को अपनी फसल को कभी-कभी लागत से कम कीमत पर बेचनी पड़ती है और व्यापारी इससे किसानों का शोषण करते हैं। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण करने के लिए ग्रामीण भंडारण योजना चलाई जिसमें भंडारगृह बनाने के लिए सरकार केन्द्र स्तर पर सब्सिडी उपलब्ध करवाती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण केन्द्र को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मेरे संसदीय क्षेत्र में कई किसान हितैषी लोगों ने ग्रामीण भंडारगृह बनाने की योजना बनाई है और उन्होंने जयपुर में ग्रामीण भंडारण योजना की नोडल एजेंसी नाबार्ड से जब संपर्क किया तो उन्होंने बताया है कि ग्रामीण भंडारण योजना के लिए सब्सिडी वाली राशि गत तीन सालों से उनके पास नहीं आई है अगर ग्रामीण भंडारण योजना के लिए सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी तो इस योजना को कारगर ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है और इसी कारण से मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण भंडारगृह स्थापित नहीं किये जा सके।

सरकार से अनुरोध है कि ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत समुचित राशि एवं संबंधित सब्सिडी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडार बन सके एवं किसानों को अपनी फसल को इन गोदामों में रख सके और अपनी इच्छानुसार बेच सकें।

(पांच) महिलाओं को सभी प्रकार की हिंसा से संरक्षण देने के लिए कानून लागू करने और स्नातक की शिक्षा प्राप्त बेरोजगार माताओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम) : दुनिया में ऐसी बहुत सी सभ्यताएं हैं जहां महिलाओं का सम्मान और समाज में उनकी भूमिका सर्वोपरि होती है। वैदिक समाज में महिलाओं को उच्च स्थान पर रखा गया था। वैदिक परंपरा में महिलाओं के गुणों का बहुत सम्मान किया जाता था और उन्हें देवी का स्थान दिया गया था। एक वैदिक कहावत है, "जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहां देवता निवास करते हैं।" जिस भी समाज में, यदि महिलाएं खुश हैं, तो वहां समृद्धि रहती है, लेकिन जहां नारियां दु:ख में जीती हैं, वह परिवार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आज देश में अथवा संस्थानों में महिलाओं का सम्मान वास्तविक वैदिक संस्कृति का संरक्षण करके किया जाना चाहिए।

तथापि सरकारी आंकड़ें महिलाओं में लिंग-अनुपात, स्वास्थ्य स्तर, साक्षरता दर, काम में भागीदारी और राजनीतिक भागीदारी कम होती दर्शा दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत के विभिन्न भागों में दहेज मृत्यु, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला कर्मचारियों का शोषण जैसी सामाजिक बुराईयां तेजी से बढ़ रही है। अपमान, बलात्कार, अपहरण, उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, शोषण, पत्नी की पिटाई आदि की घटनाएं पिछले सालों में बढ़ी है।

इसलिए मैं सरकार से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा हेतु कानून को सख्ती से लागू करने का पुरजोर अनुरोध करती हूं। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करती हूं कि स्नातक बेरोजगार माताओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत की जाए ताकि वे एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सके।

(छह) तमिलनाडु में विरूद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैंडलूम टैक्सटाईल पार्क के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर (विरुद्धनगर) : केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में विरूद्धनगर को देश में पहला हैंडलूम टैक्सटाईल पार्क स्थापित करने के लिए चिन्हित किया है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2009 में देश भर में ऐसे 5 पार्क स्थापित करने की भी घोषणा की थी। विरूद्धनगर में 4750 मिलियन रुपए के निवेश से हैंडलूम टैक्सटाईल पार्क स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी गई और कुछ निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। इससे आस-पास में 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार भी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के माध्यम से बुनकरों को आधुनिक डिजाइन और तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए 250 मिलियन रुपए का निवेश कर रही है।

इस संबंध में, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि विरुद्धनगर में हैंडलूम टैक्सटाईल पार्क की स्थापना से जुड़े कार्य को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तमिलनाडु के विरूद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से शिक्षित, कुशल और

[श्री मानिक टैगोर]

अर्धकुशल बेरोजगार युवा हैं जो अपने रोजगार और व्यापार के लिए देश के दूसरे हिस्सों में प्रवास के लिए बाध्य हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र और इसके आस-पास के क्षेत्रों में बुनकरों, हैंडलूम और पावरलूम उद्योगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में, नियमित रोजगार की कमी, अपर्याप्त मजदूरी, ऋणग्रस्तता और परिणामस्वरूप सूक्ष्म-वित्त कंपनियों द्वारा लगातार उत्पीड़न किए जाने, उठाए ना गए स्टॉक के बढ़ते ढ़ेर के कारण पावरलूम इकाइयों की बंदी तथा बैंकों से ऋणों की अनुपलब्धता के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पावरलूम बुनकरों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं हुई हैं।

यदि प्रस्तावित टैक्सटाईल पार्क की स्थापना होती है तो इससे सभी बुनकर परिवारों को लाभ होगा और इससे यह औद्योगिक रूप से पिछड़ा निर्वाचन क्षेत्र एक विकासशील औद्योगिक निर्वाचन क्षेत्र में बदल जाएगा। इसलिए, मैं सरकार से विरूद्धनगर में हैंडलूम टैक्सटाईल पार्क की स्थापना से संबंधित कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) पुष्प कृषि अनुसंधान निदेशालय को दिल्ली से राजस्थान के भरतपुर में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अंतर्गत निदेशालय फूल खेती (फ्लोरीकल्चर) कार्यरत है जो देश में फूल खेती को बढ़ावा एवं उसके अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है। दिल्ली में यह कार्यालय होने के कारण किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस निदेशालय को किसानों के बीच रहकर उनकी समस्या का संज्ञान कर उनको दूर करने चाहिए इससे फूल संबंधी अनुसंधान एवं विकास करने में सहायता मिलेगी। राजस्थान का भरतपुर क्षेत्र सम्भागीय क्षेत्र है जो दिल्ली, आगरा एवं जयपुर के करीब है एवं यहां कि किसान का कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय है एवं वे कई सालों से फूल की खेती भी कर रहे हैं जिसकी आपूर्ति दिल्ली एवं विभिन्न शहरों को हो रही है। फूलों की अपार खेती होने के कारण यहां पर कई कृषि के छात्र अध्ययनरत है निदेशालय फूल खेती (फ्लोरीकल्चर) के कार्यकलापों से इन छात्रों को भी मदद मिलेगी और फूल खेती निदेशालय को भी कार्य करने में काफी मदद मिलेगी। फूल खेती के लिए यहां की जलवायु अनुकूल है। स्थानीय किसान भी फूलों की खेती में गहन रूप से रूचि ले रहे हैं। भरतपुर को आने जाने का समुचित सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग है। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल भी काफी संख्या है। फूलों की खेती करने से इन ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सुंदरता को निखारा जा सकता है और फूलों के निर्यात विदेशों को कर विदेशी मुद्रा को कमाया जा सकता है।

सरकार से अनुरोध है कि निदेशालय फूल खेती वाड़ी (फ्लोरीकल्चर) को दिल्ली से भरतपुर स्थानांतरित किया जाये जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके एवं देश के फूल खेती को बढ़ावा मिल सके।

(आठ) हिमाचल प्रदेश के ऊना से ऊना हिमाचल-नांदेड़ साहिब साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : मैं रेल मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि रेल बजट वर्ष 2013-14 में तत्कालीन रेल मंत्री ने ऊना-हिमाचल-नांदेड़ साहिब साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की घोषणा की थी, परंतु 1 जुलाई, 2013 की नई समय सारिणी में उसे ऊना-हिमाचल प्रदेश की बजाये उसे नंगल डैम-पंजब से चलाना घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय है तथा केंद्र सरकार के इस प्रकार के निर्णय से हिमाचल प्रदेश के जनमानस, विशेषकर सिख समुदाय को काफी आघात पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के हजारों सैनिक देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा में तैनात है। इससे उनका मनोबल भी गिरेगा। ऊना में सिख धर्म के प्रथम गुरू नानक देव जी से संबंधित गुरुद्वारा बाबा बेदी का किला स्थित है, जिसकी बहुत मान्यता है तथा धार्मिक दृष्टि से ऊना को नांदेड़ साहिब से जोड़ने का औचित्य बनता है। अत: घोषित समय-सारिणी में संशोधन करके इस गाड़ी को ऊना से चलाया जाए। इसी रेल खंड पर अम्ब-अंदौरा रेलवे स्टेशन की लंबाई छोटी होने के कारण हिमाचल एक्सप्रेस के ए.सी. कोच एवं जनरल बोगियां प्लेटफार्म से बाहर रूकती हैं, जिसके कारण बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धों को उतरने तथा चढ़ने में परेशानी होती है इसलिए रेलवे प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाई जाए तथा अम्ब-अन्दौरा रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर स्थापित किया जाए और बसाल में डेरा बाबा रूद्रानंद के नाम से रेलवे स्टेशन की स्थापना की जाए।

(नौ) मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी स्थित केन्द्रीय विद्यालय का उन्नयन कर उसे उच्चतर माध्यमिक स्तर का विद्यालय बनाने तथा विद्यालय के लिए भवन का निर्माण करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री मकनसिंह सोलंकी (खरगौन) : मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित है, लेकिन इस विद्यालय में 10वीं तक की कक्षाएं है। जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए भारी परेशानी हो रही है। आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूलों में 11वीं में प्रवेश नहीं मिल पाता है। इसके कारण बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए मजबूर हैं। मेरा जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस विद्यालय का अभी तक अपना भवन नहीं है जिसके

लिए जिला कलैक्टर बड़वानी द्वारा लीज डीड संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा भवन निर्माण में आ रही बाधाओं को भी दूर कर दिया गया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को कई बार अनुरोध करने के बाद भी भवन निर्माण का कार्य हो पाया है।

मेरा केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध है कि पिछड़े तथा आदिवासी जिले में 11वीं-12वीं की कक्षाओं को मंजूरी देने तथा भवन निर्माण के लिए तत्काल निर्देश देने की कृपा करें।

(दस) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मोटा भंडारिया गांव के जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेनभाई काछादिया (अमरेली) : हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली में, मोटा भंडारिया गांव में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, जिसका संचालन केन्द्र सरकार द्वारा होता है। मान्यवर इस स्कूल के अलावा हमारे संसदीय क्षेत्र में कोई भी स्कूल नहीं है मैंने एक केन्द्रीय विद्यालय के लिए केन्द्र सरकार को कई बार पत्र के माध्यम से अथवा संसदीय सत्र के दौरान शून्यकाल के माध्यम से निवेदन किया, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस स्कूल को शुरू हुए 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस विद्यालय में स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, काम चलाने के लिए अस्थाई शिक्षक रखे गये हैं ऐसे शिक्षकों को जब तक उन्हें अच्छा लगता है, तब तक पढ़ाते हैं और कुछ समय पश्चात् वे स्कूल छोड़ देते हैं और अब इस विद्यालय में विज्ञान फैकल्टी के साथ कक्षा 12वीं तक कर दी गई है, लेकिन यहां अच्छे शिक्षक के अभाव है न ही गणित के शिक्षक हैं और न ही फिजिक्स एवं रसायनशास्त्र के शिक्षक हैं यानी अच्छे के अभाव के कारण इतनी अच्छे विद्यालय जो केन्द्र सरकार द्वारा संचालन किया जाता है और जहां अभिभावकों में अपने बच्चे के नामांकन के लिए होड़ मची रहती है और आज यही अभिभावक अपने-अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य का क्या होगा। यानी अच्छे शिक्षकों के अभाव के कारण यह विद्यालय एक साधारण विद्यालय से भी निम्न स्तर का हो गया है।

इतने अच्छे स्कूल की यह दशा देखकर मुझे बहुत दु:ख हो रहा है और मैं सरकार से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द इस स्कूल में फैकल्टी के अनुसार स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति की जाये ताकि जवाहर नवोदय विद्यालय की साख एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य को बचाया जा सके और उनके अभिभावकों की चिंता को दूर किया जा सके। हमें आशा है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और बच्चों के आने वाले उज्जवल भविष्य को बनाने में आप सहयोग प्रदान करेंगे।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति जनजातीय समुदाय से किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री नलिन कुमार कटील (दक्षिण-कन्नड) : सरकार ने देश में लगभग 8.5 करोड़ जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जनजातीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या की विभिन्न सांस्कृतिक और कला तथा लोक साहित्य जैसी अन्य गतिविधियों का अध्ययन करना था। यह विश्वविद्यालय जनजातीय लोगों की उच्च शिक्षा के चिर प्रतीक्षित स्वप्न को पूरा करता है। जनजातीय लोग सांस्कृतिक विरासत में काफी समद्ध और कला तथा शिल्प में कुशल हैं परन्तु उच्च शिक्षा तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में वे अभी भी हाशिए पर ही हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में, समाज में प्रौद्योगिकीय उन्नति होने से समाज सिमट कर एक गांव बन गया है। परन्तु जनजातीय लोग जो कि सही अर्थों में भारतीय संस्कृति के संरक्षक हैं, प्रगति की इस दौड़ में काफी पीछे हैं। उनकी उन्नति के लिए विश्वविद्यालय को उनकी शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक कौशल, सामुदायिक विकास स्वरोजगार अवसर आदि से संबंधित नीति तैयार करने में सरकार की सहायता करनी चाहिए। मेरा यह विचार है कि यदि जनजातीय समाज की समुचित जानकारी रखने वाले किसी उपयुक्त व्यक्ति को इसकी कमान सौंपी जाए तो राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। अत:, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनजातीय समुदाय से किसी विद्वान व्यक्ति को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक मध्य प्रदेश का कुलपति नियुक्ति किया जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के बीड़ी कामगारों को समुचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : देश में बीड़ी श्रमिकों की संख्या करोड़ों में है। कौशाम्बी जनपद (उत्तर प्रदेश) में 1 लाख बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों का शोषण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार पर हो रहा है। हजार बीड़ी बनाने की मजदूरी 65 रुपये की जगह 45 रुपये देते हैं। बीड़ी श्रमिक बच्चों के पढ़ाई के लिए (छात्रवृत्ति) वजीफा नहीं मिलता, आवास हेतु 45 हजार, इलाज स्वास्थ्य के लिए 3 लाख अनुदान नहीं दिया जा रहा है। कार्ड के साथ 25 हजार बीमा नहीं दिया जाता, 85 प्रतिशत मजदूरों के पास कार्ड नहीं है। भारत सरकार श्रम मंत्रालय उपरोक्त बिन्दुओं को तत्काल लागू करे एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर) : मैं सरकार का ध्यान पूर्वांचल में इस वर्ष भारी वर्षा के कारण आयी बाढ़ के त्रासदी के संदर्भ में दिलाना चाहता हूं। इस भीषण बाढ़ के कारण जनपद संत कबीर नगर के महदावल-बस्ती हाइवे करीब 50 मीटर तक नदी के कटाव के कारण कट गया जिससे सैकड़ों गांव प्रभावित हैं तथा कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं एवम् बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा इन गांवों के लोगों की रहने की कोई व्यवस्था नहीं है।

मानसून के पहले ही तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मैंने प्रदेश के उच्च संबंधित अधिकारियों एवं जनपद मंडल के उक्त विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया था। प्रदेश के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों की उदासीन रवैये के कारण 50 मीटर के लगभग सड़क टूट गया और घाघरा नदी का पानी अब गांवों तक पहुंच रहा है। जिससे सैंकड़ों गांव जो जनपद संत कबीर नगर में हैं तथा आस-पास के जिलों में पानी भरने का खतरा बुरी तरह से मंडरा रहा है। गांव के लोग अपना सामान लेकर अपने संबंधियों एवं रिश्तेदारों के यहां पलायन कर रहे हैं। राज्य एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के लापरवाही के कारण आज उक्त सड़क कट गया और लाखों लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तथा लोगों के अंदर घोर असंतोष है, सड़क कट जाने के कारण आवागमन भी खत्म हो गया है और लोग बुरी तरह से परेशान हैं, अगर सही समय से मरम्मत एवं सुदृढ़ कार्य हुआ होता तो सड़क को एवं उसके आसपास की आबादी, गांव एवं फसलों को बचाया जा सकता था, पर प्रदेश सरकार के द्वारा इस विषय पर कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया।

अत: मेरा आग्रह है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए किसी केन्द्रीय जांच एजेंसी से जांच करा कर दोषी अधिकारियों को उचित सजा दिलवाने का भी निर्देश देने का कष्ट करें।

चूंकि जनपद संत कबीर नगर के ज्यादातर लोग गरीब किसान मजदूर हैं तथा इस बाढ़ के कारण इनकी आर्थिक स्थिति अति दयनीय हो गई है। मेरा आग्रह है कि जनपद संत कबीर नगर के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से आर्थिक मदद अविलंब प्रदान करने का कष्ट करें। बाढ़ से प्रभावित गांव के लोगों का पुनर्वास अतिशीघ्र किया जाये और भविष्य में जनहानि एवं कृषकों की जमीन एवं मकान आदि सुरक्षित करने के लिए सार्थक उपाय सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

(चौदह) बिहार में खगड़िया और कुशेश्वर स्थान, हसनपुर और कुशेश्वर स्थान-सकरी के बीच रेललाइन का निर्माण और सहरसा तथा फॉरबिसगंज एवं मधेपुरा तथा पूर्णिया के बीच रेललाइन का आमान-परिवर्तन कराए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया) : बिहार पिछड़ा राज्य है, खासकर रेलवे की बहुत कमी है। बिहार राज्य के पूर्व-मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत, खगड़िया से कुशेश्वर स्थान, हसनपुर-कुशेश्वर स्थान-सकरी नई रेललाइन निर्माण एवं सहरसा से फॉरबिसगंज तथा मधेपुरा से पूर्णियां आमान-परिवर्तन निर्माण की स्वीकृति लगभग 13-14 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके निर्माण के कार्य धीमी गति से चलने के कारण निर्माण पूरा नहीं हो रहा है। यूपीए-2 सरकार के सभी रेल बजट में उक्त रेललाइन के निर्माण कार्य अगले वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रेल मंत्री घोषित करते रहते हैं। लेकिन आज तक उक्त रेल खंड का निर्माण पूर्ण नहीं हो रहा है, जिससे इन क्षेत्र के लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। परियोजना के निर्माण कार्य धीमी गति से चलने के कारण उसके लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होती जा रही है।

अत: रेल मंत्री उक्त परियोजना के काम पूर्ण करने के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन कर निर्माण कार्य पूर्ण करायें।

(पंद्रह) श्रीलंकाई नौसेना के आक्रमणों से भारतीय मछुआरों को बचाने और श्रीलंका की जेलों में बंद भारतीय मछुआरों को छुड़ाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापटिट्नम) : हमारे देश के समुद्र तट और द्विपीय राष्ट्र श्रीलंका के बीच विशेषरूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागापट्टिनम, तमिलनाडु में समुद्र तट के निकट हमारे समुद्र के अंतर्गत भारतीय मछुआरों पर हो रहे लगातार हिंसक हमलों की घटनाओं को केन्द्र सरकार के संज्ञान में बार-बार लाए जाने के बावजूद श्रीलंका की सेना द्वारा हमारे मछुआरों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की घटनाएं सतत् रूप से जारी हैं। हाल ही में, श्रीलंका की नौसेना ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अनेक मछुआरों पर निर्दयतापूर्वक हमला किया और उनका अपहरण किया। वर्तमान में लगभग 100 मछुआरे श्रीलंका की तल्लाइमन्नार जेल और अन्य स्थानों पर कैद हैं। चूंकि इन लोगों के परिवार मानसिक वेदना और पीड़ा का सामना कर रहे हैं अत: मेरा विदेश मंत्री जी से अनुरोध है कि इन सभी मछुआरों को जेल से रिहा कराने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं।

इन वर्षों के दौरान अनेक मछुआरों ने अपनी जान गंवाई है, उनमें से सैकड़ों मछुआरे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, हजारों मछुआरों ने अपना मछली पकड़ने का क्षेत्र, मछली पकड़ने का जाल और नौका तक को खो दिया है जिसके परिणामस्वरूप उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों का लगातार उत्पीड़न तमिलनाडु में एक चिंता का विषय है और इस विषय पर केन्द्र सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अत: मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे मछुआरों के जीवन और उनकी आजीविका को बचाने के लिए कोई समन्वित तंत्र विकसित किया जाए।

(सोलह) छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन 19 फरवरी को "राष्ट्र भक्ति प्रेरणा दिवस" घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गजानन घ. बाबर (मावल) : मैं समतावादी विश्ववंद्य छात्रपति शिवाजी महाराज के गौरवार्थ का विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा विश्ववंद्य छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानी जाती है। यूरोप, अमेरिका, चीन, रूस, आस्ट्रेलिया, क्यूबा, मध्यपूर्व देशों के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रवाद विकसित करने के लिए विश्ववंद्य छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ाया जाता है। अमेरिका को पराजित करने वाले वियतनाम से शहीदों के लिए बनाये गये राष्ट्रीय स्मारक पर लिखा है "यह स्मारक छत्रपति शिवाजी के मावलों का है", भारत का मानव इतिहास सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुलामी का रहा है। विपरीत परिस्थिति में एकसंघ राष्ट्रीय स्वाभिमान से संकल्पित महाराजा शाहजी राजे तथा राष्ट्रमाता जीजाबाई ने पुत्र शिवाजी को स्वराज संकल्प से सिंचित करके भारत के लोगों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था से स्वराज्य शासन प्रदान किया। दुनिया में दर्जनों राष्ट्रीय क्रांति छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानकर सफल हुई है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन (19 फरवरी) को "राष्ट्रभक्ति प्रेरणा दिवस" के रूप में घोषित करे, जिससे देश के नव जवानों में भी देशभक्ति की प्रेरणा जागृत हो सके।

(सत्रह) महाराष्ट्र के नासिक में एक नए जलाशय के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री समीर भुजबल (नासिक) : मेरे नासिक चुनाव क्षेत्र में त्रयंबकेश्वर तथा कुंभ मेले के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। नासिक शहर की आबादी 16 लाख तथा जिले की आबादी 65 लाख हो चुकी है। नासिक में तीन जल स्रोतों से पानी किसान, इंडस्ट्रीयल तथा पीने के लिए बांटा जाता है और गर्मियों में कभी-कभी दूसरे जिलों में छोड़ा जाता है, इसलिए यहां और एक बड़े स्तर की योजना त्रयंबकेश्वर में बनाने की योजना महाराष्ट्र सरकार ने बनायी है और वन मंत्रालय को क्लिअरेंस के लिए भेजी है। जिस जलाशय से पीने के पानी की सप्लाई होती है वह 70 साल पुराना है। मिट्टी-गाद इत्यादि जमा होने के कारण इस जलाशय से पानी का प्रवाह कम होता है। इस मिट्टी (सिल्ट) को निकालने के लिए सरकार को 1500 करोड़ खर्चा आएगा। इसलिए 600 करोड़ में इसे नए बनाने की योजना का प्रपोजल वन मंत्रालय में निर्णय लेने के लिए भेजा है। यह रिजरवॉयर पूरा होने से नासिक तथा कुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्री तथा किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। अगर यह रिजरवायर नहीं बनवाया गया तो 10 साल के बाद यहां पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा एवं नासिक शहर के उद्योग बंद हो सकते हैं।

अंत: मैं माननीय वन मंत्री को जल्द से जल्द प्रपोजल को गंभीरता से सोचकर अनुमोदित करने की विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं।

(अठारह) दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. राजेन्द्रन (दक्षिण चेन्नई) : दलित ईसाई समूह दलित ईसाइयों को 'अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के मुद्दे को काफी लंबे समय से उठा रहे हैं। तथापि, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में दी गई अनुसूचित जातियों की परिभाषा दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने से रोकती है और उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण जैसे कल्याणकारी उपायों से अनुचित रूप से वंचित किया जा रहा है।

जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने यह कहा है कि धर्म का विचार किए बिना, भारत के सभी समुदायों में जाति प्रथा विद्यमान हैं और कहा कि किसी सकारात्मक कार्य हेतु किन्ही विशेष जातियों के चयन में धर्म के आधार पर भेदभाव करना संविधान की भावना के विपरीत होगा।

अत:, मेरा अनुरोध है कि उक्त आदेश में संशोधन कियाक जाए ताकि दलित ईसाइयों को अन्य अनुसूचित जातियों के बराबर माना जा सके और उन्हें संविधान (अ.जा.) आदेश, 1950 में संलग्न अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जा सके।

(उन्नीस) तमिलनाडु के सूखा प्रभावित जिलों को राहत पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. लिंगम (तेनकासी) : वर्ष 2012-13 के दौरान, तमिलनाडु में अप्रत्याशित सूखा पड़ा। खरीफ और रबी के मौसम में मानसून की असफलता और कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी नहीं छोड़े जाने से स्थिति दयनीय हो गई और फसलों को क्षति पहुंची। केन्द्र सरकार कर्नाटक को कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने के लिए समझाने में विफल रही। किसान साहूकारों से उधार लेने को बाध्य हुए, जो अत्यधिक ब्याज दर वसूल करते हैं। किसान अपने आभूषणों और मकानों को गिरवी रखते हैं और सिंचाई की व्यवस्था करने तथा अपनी फसलों की रक्षा के लिए उन्हें बेच तक देते हैं। सूखे से हुई हानि के कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए हैं। इस स्थिति में, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के सिवाय राज्य के सभी जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है और राहत कार्यों को कार्यान्वित किया है। राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। कावेरी डेल्टा क्षेत्र के बेरोजगार कृषि मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिक दिन का कार्य प्रदान किया गया है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सूखा राहत पैकेज के रूप में 19,555/- करोड़ रुपये की मांग की है। केन्द्र सरकार ने भी राज्य में सूखा की स्थिति की समीक्षा हेतु एक केन्द्रीय दल को भेजा था। यद्यपि इस वर्ष मानसून में पर्याप्त वर्षा हुई है तथापि, तमिलनाडु में सूखा जैसी स्थिति अभी भी मौजूद है। किसान धन के अभाव में पुन: खेती नहीं कर पाए हैं और समस्या अभी भी जारी है।

तमिलनाडु के किसानों को कृषि कार्यकलापों में लगाने के लिए, मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगे गए 19,555 करोड़ के राहत पैकेज को तुरंत प्रदान किया जाए।

(बीस) महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले) : हाल ही में, पश्चिमी घाट क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, थाणे, पुणे, सतारा, सांगली और कोल्हापुर के साथ दाजीपुर और चन्दौली अभयारण्य भी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पश्चिमी घाट क्षेत्र के अधीन आने वाले गांवों के स्थानीय लोगों पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आजीविका इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए जाने वाले ग्रामीण आर्थिक कार्यकलापों पर निर्भर है। अभयारण्य और वन क्षेत्र के कारण जंगली जानवरों के मानव बस्तियों में घुसने की घटनाएं भी बढ़ गयी हैं और इसीलिए दूध एवं ढुलाई के कार्य हेतु पशुपालन बहुत कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त, जंगली जानवरों द्वारा भारी क्षति पहुंचाने के कारण दिन प्रति दिन के कृषि संबंधी कार्यकलाप रूक गए हैं। इन सभी कारणों से इन लोगों की आय के स्रोत/कार्यकलाप पूर्ण रूप से रूक गए हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार से अनुरोध है कि लोगों की समस्या को दूर करने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र के दु:खी लोगों को सहायता प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा, मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा, माननीय गणेश सिंह जी, माननीय अनुराग जी, कृपया सुनिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस ऑगस्ट हाउस के मेंबर हैं, कृपया मेरी बात सुनिये। गणेश सिंह जी, मेरी बात सुनिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे एनडीए के माननीय चेयरपर्सन खड़े हैं। अगर इस सदन की इस परम्परा को, जो एक महत्वपूर्ण परम्परा है, माननीय सदस्यों के नियम 377 के तहत महत्वपूर्ण विषय आने हैं। फूड सिक्योरिटी बिल, जिस पर माननीय सदन ने एक सहमति भी व्यक्त की है कि देश के 67 परसेंट लोगों को खाद्य की सुरक्षा की भोजन की गारंटी दी जायेगी। कृपया आप बैठ जायें, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा। देश इस बात को देख रहा है, आप इस सदन को व्यवस्थित करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको बोलने का समय देंगे। आपको भी समय देंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको समय देंगे, कृपया आप अपनी जगह पर जायें। आप भी जायें। उनको भी बैठने के लिए कह दिया है, आप कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपने स्थान पर अवश्य चले जाएं क्योंकि तभी पीठ द्वारा आपको उचित समय पर बोलने का समय दिया जायेगा। यह मेरा निवेदन है। यह देखना हमारा उत्तरदायित्व है कि सभा ठीक से कार्य करे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय यशवन्त जी, उधर तो सब बैठे हैं। माननीय कोयला मंत्री जी यहां मौजूद हैं। आप बैठ जाएं। आप इस विषय पर अगर जवाब चाहते हैं तो माननीय कोयला मंत्री जी यहां मौजूद हैं। सरकार की कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। आपको उस विषय का उत्तर चाहिए। मैं सरकार के कोयला मंत्री से कहूंगा कि वह उत्तर दें। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। मैं सरकार के कोयला मंत्री से कहूंगा कि वह आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न का जवाब दें। आप सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम को जानते हैं। इसमें आप कोई दवाब नहीं डाल सकते। *[अनुवाद]* आप ऐसा दवाब नहीं डाल सकते कि केवल माननीय प्रधानमंत्री ही वक्तव्य दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। माननीय कोयला मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय नेता, प्रतिपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों के उत्तर देने को तैयार हैं। अब कोयला मंत्री जवाब देंगे। कृपया शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। श्री यशवंत सिन्हा जी, आप इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। यह कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। यदि आपने कोई प्रश्न पूछा है तो मैं माननीय कोयला मंत्री से उसका उत्तर देने के लिए कहूंगा। कृपया शांति बनाए रखें। ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। इस तरह यह सभा कैसे चल सकती है? *[हिन्दी]* आप सब सीनियर नेता हैं। प्रतिपक्ष के नेता ने सवाल उठाया है। मैं कोयला मंत्री से कहूंगा कि वे उस सवाल का जवाब दें। अगर आप सदन को इस तरह से चलाएँगे तो देश की जनता के प्रति भी कुछ जवाबदेही है। इस सदन में आपको उत्तर चाहिए। अनुराग जी, एक महत्वपूर्ण विषय यहां नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है। मैं कोयला मंत्री से कहूंगा कि वे जवाब दें। लेकिन सदन में आप सुनने का धैर्य रखें, आप सदन को व्यवस्थित करें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

इस समय, श्री उदय सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.07 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अपराह्न 1.01½ बजे

इस समय, श्री के. नारायण राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम विधायी कार्यकलाप को जारी रखते हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर जाएं। आपने अपनी बात कह दी है। अब, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया सभा को अपना कार्य करने दें। हमें विधेयक पर चर्चा करनी है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अब अपने स्थान पर वापस जाइये। प्रत्येक सदस्य की अपनी समस्या है। अपने अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 2.01 बजे

इस समय, श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष

महोदय : रिकॉर्ड में किसी की बात नहीं जायेगी। कृपया सदन चलने दीजिए, आप लोग बैठ जाइये।

*(व्यवधान)...**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये, सदन को चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा गुरुवार, 22 अगस्त, 2013 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 22 अगस्त, 2013/ 31 श्रावण, 1935 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।